कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

आदेश संख्या-१५/2020 दिनांक सितम्बर 07, 2020

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा पारित आदेश संख्या-339/2020 दिनांक सितम्बर 07, 2020 के प्रस्तर-1 में सम्प्रेषित किया गया है-

1-जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 07.09.2020 के अनुसार दिनांक 03.09.2020 को अधिकारियों/कर्मचारियों का कोरोना टैस्ट कराया गया तथा दिनांक 05.09.2020 को कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के कर्मचारी श्री रितु शुक्ला कोरोना पाजिटिव पाये गये। शासनादेश के अनुसार उनके निवास को केन्द्र मानते हुये 100 मीटर के क्षेत्र को दिनांक 06.09.2020 से कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है तथा न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य करने की संस्तुति की जाती है।

2-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII&CPC/e-Courts/ Allahabad Dated:03.06.2020 के प्रस्तर-15 में निम्न लिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये है-

3-15-Where the District Adminitration/ CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/ or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period then the District Court/ Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specifice reasons may be sent to Allahabad High Court.

4-माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के द्वारा जिला न्यायालय परिसर पीलीभीत को दिनांक 08.09.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया गया है।

5-उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तथा अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर पीलीभीत मे स्थित नव निर्मित छः कक्षीय न्यायालय कक्ष भवन में स्थित है उक्त को भी उक्त दिनांक को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जायेगा।

6-उक्त तथ्यों के आलोक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तथा अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत को दिनांक 08.09.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है।

7-नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय पीलीभीत की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

8-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश को दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशन एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

9-समस्त सम्बन्धित सूचित हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को

सूचनार्थ प्रति प्रेषित की जाये।

10–परिवारिक न्यायालयो मे दिनांक 08.09.2020 को लम्बित समस्त वादो मे सामान्य तिथि नियत की जायेगी। निर्णय/बहस/आदेश व अर्जेन्ट प्रकृति के मामले अपवाद होगे उसमे नजदीक की तिथि आवश्यकतानुसार नियत की जाये, जिसकी सूचना भी उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर अनुभाग तथा उनके स्तर से सम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी।

दिनांक सितम्बर 07, 2020

(संजीव शुक्ला)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

पत्रांक /प्रशा0–2020 दिनांकित सितम्बर 07,2020

1– नोडल अधिकारी कोविड–19/अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीलीभीत।
2– जिलाधिकारी पीलीभीत।
3– पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
4– अधीक्षक जिला कारागार, पीलीभीत।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
7– अध्यक्ष/सचिव, जिला संयुक्त बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।
8– अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।
9– अध्यक्ष/सचिव, जिला सेन्ट्रल बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।
10– आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

दिनांक सितम्बर 07, 2020

(संजीव शुक्ला)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।